न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 133 / 2023

अपीलांट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. संगीतादेवी पत्नी मोहनराम जाट निवासी सी–41 ठाकुर विरेन्द्र नगर, मण्डोर रोड जोधपुर 2. जसोदा पत्नी दुदाराम जाट निवासी श्री रामनगर, ग्रा0पं0 सुखमण्डला, तहसील शेखाला, जिला जोधपुर 3. हरजीराम पुत्र स्व0 खीयाराम जाट निवासी श्री रामनगर, ग्रा0पं0 सुखमण्डला, तहसील शेखाला, जिला जोधपुर		1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार शेखाला, जिला जोधपुर (राज0) 2. उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बालेसर, जिला जोधपुर 3. भू0अ0नि0 नाथडाऊ, तहसील शेखाला, जिला जोधपुर 4. पटवारी गिलाकौर, तहसील शेखाला, जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर–उपखण्ड अधिकारी बालेसर, प्रकरण सं0 118 / 2021 दिनांक 17.12.2021

उपस्थित–
1. श्री ए0आर0 बेनीवाल, वकील अपीलांट्स
2. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से

निर्णय

दिनांक 04.10.2024

प्रस्तुत अपील प्रकरण के तथ्य मुख्यतः इस प्रकार से है कि उपखण्ड अधिकारी बालेसर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.12.2021 के द्वारा तहसीलदार सेखाला के पत्र कमांक 822 दिनांक 17.12.2021 द्वारा प्रस्तावित राजस्व ग्राम श्री रामनगर के खसरा नं0 355, 364, 356, 331, 332 / 2, 332, 330, 330 / 1, 329, 329 / 1, 328, 327, 333, 334, 326, 353, 353 / 1, 353 / 3 की भूमि में रास्ते में उपयोग हो रही उल्लेखित रकबा भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ता परिवर्तित करने एवं नक्शा (लटठ्ा) ट्रेस में दुरस्ती एवं राजस्व रेकर्ड में रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी। दौरान सुनवाई वकील अपीलांट ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि अपीलाधीन आदेश में अपीलांट्स के खसरा नं0 327 व 328 में जिस जगह रास्ता काटा गया है, वहा 300 फीट ऊंचाई का धूल का टीबा है, जिस पर व्यक्ति पैदल नही चल सकता है। अपीलांट्स की

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

खरीदसुदा खातेदारी भूमि के चारों तरफ पत्थर रोप कर तारबंदी जाली की हुई है एवं दो नलकूप स्थित है, जिससे संपूर्ण कृषि भूमि की सिंचाई हो रही है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी के उक्त खसरान की भूमि में वक्त सेटलमेंट से किसी प्रकार का कोई रास्ता मौके पर विद्यमान अथवा चालू नही है। परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने मौका फर्द (मौका पर्चा) का अवलोकन किए बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। आलौच्य प्रकरण में विप्रार्थी समस्त गांव श्री रामनगर अंकित किया गया है, परंतु विप्रार्थी को कोई नोटिस जारी नही किए गये और सही तामिल हुए, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरित होने से खारिज योग्य है। आलौच्य प्रकरण में दिनांक 14.12.2021 को जो मौका फर्द (मौका पर्चा) बनाया गया, उसमें स्पष्ट अंकित है कि मौके पर रास्ता कुछ खसरों मे चालू नही है, जिसके विपरित अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया है। इसके अलावा अपीलांट्स का ख0नं0 327 व 328 ग्राम श्रीरामनगर, ग्रा0पं0 सुखमण्डला में आया हुआ है, परंतु आलौच्य आदेश प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 बमुकाम कनोडिया में पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि तहसीलदार सेखाला द्वारा उक्त प्रस्ताव हल्का पटवारी गिलाकौर द्वारा फसल खरीफ संवत् 2078 दौराने गश्त गिरदावरी ग्राम श्रीरामनगर में चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ते जो भी मौके पर पाये गये, परंतु जिनका राजस्व रेकर्ड में अंकन नही होने से, विधिक प्रावधानों के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अंकन प्रस्तावित किया गया है। मौका अवलोकन रूबरू मौतबिरान किया गया है, जिसे उपस्थित मौतबिरान ने सही व सत्य होना स्वीकार किया व उनके हस्ताक्षर/अंगुठा निशान करवाये गये है। अतः अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत होने से यथावत रखने का आग्रह किया गया। साथ ही प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मतः निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त कार्यवाही तहसीलदार सेखााला के प्रस्ताव पर की गई है। वकील अपीलांट का मुख्य कथन यह है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व उन्हें सुनवाई का अवसर नही दिया गया तथा मौका फर्द (मौका पर्चा) दिनांक 14.12.2021 में यह स्पष्ट अंकित है कि मौके पर रास्ता कुछ खसरों मे चालू नही है, जिसके विपरित अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया है, जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से साबित है।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा प्रकरण संख्या 118/2021 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.12.2021 को अपीलांट्स के ख0नं0 327 व 328 की रकबा भूमि तक निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट्स एवं सभी संबंधित खातेदारों को नोटिस जारी कर उनकी उपस्थिति में मौका निरीक्षण एवं मौका फर्द तैयार करवाकर, यदि मौके पर रास्ता चालू है तो उसे बंद किये बिना, उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 04 **अक्टूबर, 2024** को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर